06.02.2023

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह देवड़ा ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज अनुपस्थित। श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री थानसिंह निवासी संगालिया तहसील शिवगंज जिला सिरोही की ओर से अधिवक्ता श्री परिक्षीत खरौर ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। दोनों पक्षों की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री थानसिंह स्वयं पक्षकार होने से इस प्रकरण में भी पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री थानसिंह निवासी संगालिया तहसील शिवगंज जिला सिरोही द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री थानसिंह को अप्रार्थी संख्या दो के रूप में पक्षकार बनाया जाता है। दोनों पक्षों की मूल प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2021 में रेस्पोडेन्ट श्री महेन्द्र गहलोत, पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर शिवगंज के मित्र है तथा अपनी मित्रता व नजदीकी के कारण उक्त प्रकरण विधि व उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध निर्णय करने हेतु अन्तिम बहस पर पत्रावली नियत कर दी है। अतः उक्त प्रकरण, के निष्पक्ष निस्तारण हेतु सहायक कलक्टर शिवगंज न्यायालय से अन्य राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरित करने की कृपा करावें। अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों के ही अधिवक्ता एवं शिवगंज बार के अन्य अधिवक्ता पूर्व से ही उनके परिचित है एवं इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का तर्क है कि सहायक कलक्टर शिवगंज का स्थानान्तरण हो जाने से यह प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाना फरमावें।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध सहायक कलक्टर न्यायालय शिवगंज में विचाराधीन राजस्व अपील संख्या 01/2021 को अधीनस्थ न्यायालय से अन्य राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरण कराने हेतु पेश किया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन राजस्व अपील संख्या 01/2021 में रेस्पोडेन्ट श्री महेन्द्र गहलोत, पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर न्यायालय शिवगंज के मित्र है तथा अपनी मित्रता व नजदीकी के कारण उक्त प्रकरण विधि व उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध निर्णय पारित करना चाहते है। चूंकि न्यायपालिकाओं में आपसी सम्बन्धों से परे जाकर साक्ष्य एवं दस्तावेज के अवलोकन एवं गुणावगुण के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाता है। अतः प्रार्थी का यह कथन मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी के अप्रार्थी से आपसी सम्बन्ध होने के कारण

Continue

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.03.15 16:19:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्याय की उम्मीद नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जिस पीठासीन अधिकारी की अप्रार्थी से मित्रता होने का कथन किया गया है, उनका अधीनस्थ न्यायालय से अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र परिपोषणीय प्रतीत नहीं होता है। यदि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत नहीं भी होता है, तो वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.03.15 16:19:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner